बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–02–03 / 2024(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..................................

डा0 भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया के विरूद्ध सिविल सर्जन, गया के पत्रांक–453 दिनांक–10.02.2024 द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए श्रावणी मेला, 2023 मे सिविल सर्जन, भागलपुर के समक्ष योगदान नही करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय पत्राक–670(9) दिनाक–07.08.2024 द्वारा डा0 भास्कर से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. डा0 भास्कर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि उन्हे दिनांक–03.07.2023 को कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मॉ के सीने मे दर्द होने की सूचना मिली। घर जाने के दौरान दिनाक–04.07.2023 को सडक दुर्घटना हो गयी। स्वस्थ होने के उपरान्त दिनाक– 19.07.2023 को पुनः कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया है।

4. डा0 भास्कर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरात पाया गया कि डा0 भास्कर द्वारा दिनांक–04.07.2023 को सडक दूर्घटना होने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। सिविल सर्जन, गया के पत्राक–2393 दिनांक–19.07.2023 द्वारा डा0 भास्कर को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने का आदेश दिया गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 भास्कर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया।

5. डा0 भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया को सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए श्रावणी मेले के चिकित्सीय कार्य हेतु सिविल सर्जन, भागलपुर के समक्ष योगदान नही करने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–02–03 / 2024(स्वा0) 899(9) / पटना, दिनांकः– 01.08.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, गया / कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया / सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–डा0 भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/08/2025
सरकार के अवर सचिव।